रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2006/भाद्र 1, 1928
No. 386] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2006/BHADRA 1, 1928

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 498(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 3 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2006 है ।

(2) ये 1-10-2006 से प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 की अनुसूची I में :

(1) क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :—

"8	कोलकाता (2)	पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र"

(2) क्रम सं. 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :—

"15	पटना	बिहार
15क	रांची	झारखंड" ।

[सं. 95/टी सी (आरसीटी)/5-1/पार्ट II]

बी. एल. मीणा, कार्यपालक निदेशक, जनशिकायत, रेलवे बोर्ड

टिप्पणी :—मूल नियम सा.का.नि. 842(अ) तारीख 19 सितम्बर, 1989 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 700(अ) तारीख 26-11-1991, सा.का.नि. 438(अ) तारीख 21-4-1992, सा.का.नि. 509(अ) तारीख 15-06-1994, सा.का.नि. 270(अ) तारीख 04-07-1996, सा.का.नि. 59(अ) तारीख 4-2-1999, सा.का.नि. 719(अ) तारीख 15-10-1999, सा.का.नि. 167(अ) तारीख 29-02-2000, सा.का.नि. 513(अ) तारीख 09-7-2001 और सा.का.नि. 787(अ) तारीख 2-12-2002, सा.का.नि. 384 तारीख 22-10-2003 और सा.का.नि. 66(अ) तारीख 15-2-2006 के द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2006

G.S.R. 498(E).—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with Section 3 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force with effect from 1-10-2006.

2. In Schedule I to the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989,

(1) for serial number 8 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"8	Calcutta (2)	West Bengal, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands"

(2) for serial number 15 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"15.	Patna	Bihar
15A.	Ranchi	Jharkhand"

[F. No.95/TC(RCT)/5-I/Part II]

B. L. MEENA, Executive Director, Public Grievances, Railway Board.

Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 842(E) dated the 19th September, 1989 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 700(E) dated 26-11-1991 , G.S.R. 438(E) dated 21-4-1992, G.S.R. 509(E) dated 15-6-1994, G.S.R. 270(E) dated 4-7-1996, G.S.R. 59(E) dated 4-2-1997, G.S.R. 719(E) dated 15-10-1999, G.S.R. 167(E) dated 29-2-2000, G.S.R. 513(E) dated 9-7-2001, G.S.R. 787(E) dated 2-12-2002, G.S.R. 384 dated 22-10-2003 and G.S.R. 66(E) dated 15-2-2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.